ए.

शक्ति भोग फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड।

बनाम

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. (2020 की सिविल अपील संख्या 2514)

बी.

05 जून, 2020

[ए**.** एम**.** खानविलकर**,** इंदिरा बनर्जी और दिनेश माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908-या 7,आर. 11 (डी)-सीमा अधिनियम, 1963-Art.113-अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा प्रभारित और काटे गए ब्याज/कमीशन के संबंध में सही और सही खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक डिक्री के लिए 23.02.2005 पर मुकदमा दायर किया-अभियोग को विचारण न्यायालय यू/या 7 द्वारा खारिज कर दिया गया था,सी. पी. सी. का आर. 11 (डी) इस आधार पर कि यह सीमा कानून द्वारा वर्जित था क्योंकि यह सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 113 के तहत निर्धारित तीन साल की अवधि से परे दायर किया गया था-इसने अभिनिर्धारित किया कि अक्टूबर, 2000 में वादी के पक्ष में अर्जित मुकदमा करने का अधिकार और वादी अक्टूबर, 2003 तक वर्तमान मुकदमा दायर कर सकता था क्योंकि बैंक द्वारा अत्यधिक शुल्क अक्टूबर, 2000 तक था-प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले की पुष्टि की-अपील पर, अभिनिर्धारित किया:अपीलार्थी ने जुलाई, 2000 में विसंगति को देखा और तुरंत मामले को बैंक के अधिकारियों के पास ले गया-बैंक ने आईडी6 पर लिखा कि अपीलार्थी के प्रतिनिधित्व की जांच की जा रही थी-इसके बाद, बैंक से आईडी3 पर एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी को सूचित किया गया कि चेक प्रचलित दरों पर खरीदे गए थे और बैंक से आईडी4 पर एक और पत्र प्राप्त हुआ था जिसमें अपीलार्थी को सूचित किया गया था कि बैंक द्वारा की गई सभी कार्रवाई नियमों के अनुसार थी और इसलिए, अपीलार्थी को मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है-अपीलार्थी ने आईडी1 और आईडी5 पर कानूनी नोटिस भेजा था और फिर अंत में आईडी2 पर मुकदमा दायर करने के लिए आगे बढ़े-अनुच्छेद 113 में 'जब मुकदमा करने का अधिकार हो तो' अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया था।सी. पी. सी. का आर. 11 उत्पन्न नहीं होता है और

विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को कायम नहीं रखा जा सकता है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

538 ए.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

539

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण में तथ्यों का बंडल शामिल होगा।इसके अलावा, मुकदमे के सीमित होने का तथ्य, आम तौर पर, तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल होगा।उस कारण से भी, सी. पी. सी. के आदेश **VII** नियम **11** को लागू करने से इनकार किया जाता है।वर्तमान मामले में, वाद में दावा यह है कि अपीलार्थी को वास्तव में विश्वास था कि उसके दावे पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगा।यह विश्वास बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से दिनांक **8.5.2002** का पत्र प्राप्त होने के बाद हिल गया था, जिसके बाद दिनांक **19.9.2002** का एक और पत्र आया था, जिसमें कहा गया था कि बैंक द्वारा की गई कार्रवाई नियमों के अनुसार थी और अपीलार्थी को आगे इस संबंध में बैंक के साथ पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है।प्रत्यर्थी-बैंक की यह दृढ़ प्रतिक्रिया प्रत्यर्थी-बैंक पर मुकदमा करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को प्रेरित कर सकती है।इसके अलावा, यह तथ्य कि अपीलार्थी ने अंततः **28.11.2003** पर और फिर **7.1.2005** पर एक कानूनी नोटिस भेजा था और फिर **23.2.2005** पर मुकदमा दायर किया था, को भी कार्रवाई के कारण के रूप में लागू किया जाता है।क्या अपीलार्थी द्वारा ली गई यह याचिका वास्तविक और वैध है, यह उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होगा।**[**पैरा **13] [556-**एफ-एच**; 557-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

ई.

2. इस तर्क पर लौटते हुए कि पक्षों के बीच पत्रों या पत्राचार का आदान-प्रदान सीमा की अवधि को बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता है, इस न्यायालय की राय में, हमारे द्वारा अब तक लिए गए दृष्टिकोण के लिए, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।जहाँ तक, वादपत्र में किए गए अभिकथनों से यह ध्यान में आया है कि वरिष्ठ प्रबंधक से पत्र प्राप्त करने पर, दिनांक आई. डी. **5** और विशेष रूप से दिनांक आई. डी. **1** प्राप्त करने पर, और फिर से प्रत्यर्थियों द्वारा दृढ़ अस्वीकृति पर, अपीलार्थी द्वारा आई. डी. **3** पर भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में आई. डी. **4** द्वारा; और एक बार फिर आई. डी. **2** पर अनुवर्ती कानूनी नोटिस पर, फरवरी, **2005** में दायर की गई शिकायत पूरी तरह से सीमा के भीतर होगी।**8.5.2002** और विशेष रूप से, **19.9.2002** पर उत्तरदाताओं द्वारा दृढ़ प्रतिक्रिया की पूर्व घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके बाद पत्राचार हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा भेजे गए दो कानूनी नोटिस शामिल थे, भले ही उनकी उपेक्षा की गई हो, **23.2.2005** पर दायर शिकायत/मुकदमा अनुच्छेद **113** के संदर्भ में सीमा के भीतर होगा।**[**पैरा **14] [557-**बी**-**डी**]**

एफ.

जी.

एच.

ए.

राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता और अन्य।

(2007) 10 एससीसी 59:[2007] 10 एससीआर 520; चर्च ऑफ

क्राइस्ट चैरिटेबल ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियममैन एजुकेशनल ट्रस्ट **(2012) 8** एस. सी. सी. **706:[2012] 6** एस. सी. आर. **404;** मदनूरी श्री रामचंद्र

मूर्ति बनाम सैयद जलाल (2017) 13 एससीसी 174:[2017] 5

बी.

एस. सी. आर. **295;** भारत संघ और अन्य बनामवेस्ट कोस्ट पेपर

मिल्स लिमिटेड और ए. एन. आर. (2004) 2 एससीसी 747:[2004] 2 एससीआर

145; खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और ए**.** एन**.** आर**.** बनामसंघ का

भारत और एन. आर. (2011) 9 एससीसी 126:[2011] 15 एससीआर 299-पर भरोसा किया गया।

सी.

हरदेश ओरेस **(**पी**)** लिमिटेड बनामहेड एंड कंपनी **(2007) 5**

एससीसी 614:[2007] 6 एस. सी. आर. 608; पूर्व और पश्चिम

स्टीमशिप, जॉर्जटाउन, मद्रास बनाम एस. के. रामलिंगम

चेट्टियार एयर 1960 एससी 1058:[1960] 3 एस. सी. आर. 820; बूटा मल बनाम भारत संघ ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 1716:[1963] 1

एस**.** सी**.** आर**. 70** एस**.** एस**.** राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य

डी.

(1989) 4 एससीसी **582:[1989] 1** पूरक।एससीआर **43-**लागू नहीं होता है।

वेंकप्पा गुरप्पा होसुर बनाम कसावा सी/ओ रंगप्पा

कुलगोड (1997) 10 एस. सी. सी. 66:[1997] 3 एससीआर 579;

कंडीमल्ला राघवैया एंड कंपनी बनाम नेशनल

ई.

बीमा कंपनी और ए. एन. आर. (2009) 7 एससीसी 768:[2009]

10 एससीआर **870;** फ़तेहजी एंड कंपनी और ए**.** एन**.** आर**.** बनामएल**.** एम**.**

नागपाल और ओआरएस। (2015) 8 एससीसी 390:[2015] 6 एस. सी. आर. 389-संदर्भित।

सी**.** पी**.** कपूर बनाम अध्यक्ष और अन्य। **(2013) 198** डीएलटी

एफ.

56 – संदर्भित किया गया।

संदर्भित निर्णय

[2007] 10 एससीआर **520**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6**

[2012] 6 एससीआर **404**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6**

जी.

[2017] 5 एससीआर**-294**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **6**

[2004] 2 एससीआर **145**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **11**

[2011] 15 एससीआर **299**

पर भरोसा किया गया |

पैरा **12 [2007] 6** एससीआर **608** लागू नहीं होने वाला पैरा **17 [1960] 3** एससीआर **820** लागू नहीं होने वाला पैरा **18** ए

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर.

541

[1963] 1 एससीआर **70**

अप्रयोज्य

पैरा **15**

[1989] 1 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 43** अप्रयोज्य पैरा **15 [1997] 3** एस**.** सी**.** आर**. 579** पैरा **15 [2009] 10** एस**.** सी**.** आर**. 870** पैरा **15 [2015] 6** एस**.** सी**.** आर**. 389** पैरा **16** को संदर्भित

बी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयःसिविल अपील No.2514

2020.

2016 के आर. एस. ए. No.391 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 02.01.2017 के निर्णय और आदेश से।

सी.

सह

2020 की सिविल अपील No.2515

निश्चल कुमार नीरज, अपीलार्थी के अधिवक्ता।यश पाल ढींगरा, उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता। न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

डी.

ए**.** एम**.** खानविलकर**,** जे**.**

सिविल अपील सं। **2020** का **2514**

ई.

(एस**.** एल**.** पी**. (**सी**)** संख्या से बाहर निकल रहा है। **30209/2017)**

1. छुट्टी दे दी गई।

2. यह अपील नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा आर. एस. ए. संख्या में (संक्षेप में, "उच्च न्यायालय") पारित किए गए निर्णय और आदेश पर आपत्ति उठाती है, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता/वादी द्वारा स्थापित सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (संक्षेप में, "सी. पी. सी".) के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद को अस्वीकार करने के लिए प्रतिवादियों/प्रतिवादियों द्वारा दायर आवेदन की अनुमति देते हुए सी. एस. संख्या में सिविल न्यायाधीश-05, केंद्रीय जिला, तीस हजारी न्यायालय, दिल्ली के निर्णय की पुष्टि की है।अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश, केंद्रीय, तीस हजारी अदालत, दिल्ली ने आर. सी. ए. सं. <आई. डी. 2 में दिनांकित 23.7.2016 के आदेश के माध्यम से भी शिकायत को खारिज करने के आदेश की पुष्टि की थी।अपीलार्थी ने चालू खाता सं. 1 के संबंध में प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा प्रभारित और काटे गए ब्याज/कमीशन के संबंध में सही और सही खातों को प्रस्तुत करने के लिए एक डिक्री के लिए उक्त मुकदमा दायर किया था। अपीलार्थी का सी. सी. एम. 20225

एफ.

जी.

एच.

ए.

1.4.1997 और 31.12.2000 के बीच की अवधि और कटौती की तारीख से 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ खातों के प्रत्यर्पण के परिणामस्वरूप प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए भी, जिसमें राशि और भविष्य के ब्याज की बकाया राशि की प्राप्ति शामिल है।

3. अभियोग को निचली न्यायालय ने सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह सीमा कानून द्वारा वर्जित था, क्योंकि यह सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में, "1963 अधिनियम") के अनुच्छेद 113 में निर्धारित तीन साल की अवधि से आगे दायर किया गया था, जो वर्तमान मामले में लागू होता है, उस तारीख से जब अपीलार्थी को अक्टूबर, 2000 में मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था।उस संबंध में विचारण न्यायालय की पूरी चर्चा का पता पैराग्राफ 10 और 11 से लगाया जा सकता है, जो इस प्रकार हैः- ‘‘10.जैसा कि ऊपर कहा गया है, वादी ने वर्तमान मुकदमे के माध्यम से दो राहतों की मांग की है अर्थात खाते का प्रत्यर्पण और अतिरिक्त धन का पुनर्भुगतान।सीमा अधिनियम, 1963 उस समय अवधि के संबंध में कोई विशिष्ट अनुच्छेद प्रदान नहीं करता है जिसके भीतर पक्ष द्वारा अपने बैंक से खाते मांगे जा सकते हैं।इस प्रकार, सीमा अधिनियम का अनुच्छेद 113 सामने आया जो उन मुकदमों के लिए तीन साल की सीमा अवधि प्रदान करता है जिनके लिए कोई सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है, उस तारीख से जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

बी.

सी.

डी.

11. वर्तमान मामले में, वादी द्वारा अपनी शिकायत में किए गए कथनों के अनुसार, वादी द्वारा प्रतिवादियों से अक्टूबर 2000 तक इस सुविधा का लाभ उठाया गया था।इसके अलावा वाद में किए गए अभिकथनों के अनुसार प्रतिवादी द्वारा वादी से इस प्रकार ली गई कथित राशि, सहमत राशि से अधिक, अक्टूबर, 2000 तक थी।इस प्रकार, अक्टूबर, 2000 में वादी के पक्ष में उपार्जित धन पर मुकदमा करने का अधिकार कहा जा सकता है।उपरोक्त पैराग्राफ में बताए गए कानून को ध्यान में रखते हुए, वादी वर्तमान मुकदमा दायर कर सकता था, यानी अक्टूबर 2003 तक खाते को प्रस्तुत करने और अतिरिक्त राशि के पुनर्भुगतान के लिए।.....”

ई.

एफ.

इस प्रकार देखने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी के इस कथन पर विचार किया कि कार्रवाई का कारण केवल प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति पर उपार्जित हुआ था, जिसमें दायित्व से इनकार या इनकार शामिल था, जिसे अपीलार्थी को दिनांकित 19.9.2002 और 3.6.2003 पत्रों के माध्यम से सूचित किया गया था और उत्तरदाताओं को 7.1.2005 पर अंतिम कानूनी सूचना दिए जाने के बाद।सी. पी. कपूर बनाम मामले में उसी उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हुए उस तर्क को खारिज कर दिया गया है। द ए.

जी.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

543

अध्यक्ष और अन्य। 1, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्षकारों के बीच पत्राचार का आदान-प्रदान किसी वाद की स्थापना के लिए सीमा अवधि का विस्तार नहीं कर सकता है, एक बार मुकदमा करने का अधिकार अर्जित हो जाने के बाद, जो इस मामले में अक्टूबर, 2000 में अर्जित हुआ था, जैसा कि वाद में भी दावा किया गया है।जबकि, मुकदमा फरवरी, 2005 में दायर किया गया था, उस तारीख से तीन साल की अवधि के बाद जिस दिन अपीलार्थी को मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जैसा कि 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 में निर्धारित किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा इस प्रकार लिए गए दृष्टिकोण की पहली अपील में जिला न्यायालय और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय ने भी सराहना की, जो निर्णय वर्तमान अपील में चुनौती का विषय है।

बी.

4. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री निश्चल कुमार नीरज और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुज जैन को सुना है।5. यह ध्यान दिया जाए कि अपीलार्थी ने 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 2,3 और 22 पर भरोसा करते हुए आग्रह किया था कि फरवरी, 2005 में दायर किया गया मुकदमा सीमा के भीतर था।हालाँकि, यह याचिका निचली अदालत, प्रथम अपीलीय अदालत या उच्च न्यायालय को प्रभावित नहीं कर सकी।न्यायालयें इस आधार पर आगे बढ़ीं कि अनुच्छेद 113 वर्तमान मामले के तथ्यों में आकर्षित है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा दावा की गई राहत किसी विशिष्ट अनुच्छेद के तहत उस समय अवधि के संबंध में शामिल नहीं थी जिसके भीतर पक्ष द्वारा अपने बैंक से खाते मांगे जा सकते हैं, जैसा कि निचली न्यायालय ने ऊपर दिए गए अपने फैसले के पैराग्राफ 10 में उल्लेख किया है।

सी.

डी.

ई.

6. मुख्य प्रश्न यह हैःक्या अपीलार्थी द्वारा दायर वाद को सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) को लागू करके खारिज किया जा सकता था?वास्तव में, सी. पी. सी. का आदेश VII नियम 11 न्यायालय को वाद को अस्वीकार करने की पर्याप्त शक्ति देता है, यदि वाद में किए गए अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि वाद पर सीमा कानून सहित किसी भी कानून द्वारा रोक है।यह स्थिति अब रेज़ इंटीग्रा नहीं है।हम उपयोगी रूप से निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं

एफ.

राम प्रकाश गुप्ता बनाम राजीव कुमार गुप्ता और अन्य मामले में इस न्यायालय का। 2.

रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ संख्या 13 से 20 में, न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी कीः-

“13. आदेश 7 नियम 11 के अनुसार, निम्नलिखित मामलों में वाद खारिज होने योग्य हैः

जी.

“(क) जहाँ यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;

1 (2013) 198 डीएलटी 56 2 (2007) 10 एससीसी 59

एच.

(ख) जहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया गया है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर मूल्यांकन को सही करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

(ग) जहाँ दावा की गई राहत का उचित रूप से मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन शिकायत कागज पर अपर्याप्त रूप से लिखी जाती है, और वादी, न्यायालय द्वारा निर्धारित किए जाने वाले समय के भीतर आवश्यक स्टांप पेपर की आपूर्ति करने के लिए न्यायालय द्वारा आवश्यक होने पर, ऐसा करने में विफल रहता है;

बी.

((घ) जहां वाद वाद में दिए गए कथन से किसी भी कानून द्वारा वर्जित प्रतीत होता है;

(ई) जहां यह डुप्लिकेट में दाखिल नहीं किया गया है;

सी.

(च) जहाँ वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहता है।"

14. सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य [(2003) 1 एस. सी. सी. 557]

संहिता के आदेश 7 नियम 11 के संदर्भ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "9. ... संबंधित तथ्य जिन पर उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए गौर करने की आवश्यकता है, वे वाद में कथन हैं।निचली विचारण न्यायालय मुकदमे के किसी भी स्तर पर-शिकायत दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद-शक्ति का प्रयोग कर सकती है।आदेश 7 सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए, वाद में अभिकथन स्पष्ट हैं; लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा ली गई दलीलें उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी।

डी.

ई.

15. आई. टी. सी. लिमिटेड बनामऋण वसूली अपीलीय न्यायाधिकरण [(1998)

एफ.

2 एस. सी. सी. 70] यह अभिनिर्धारित किया गया कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत दायर आवेदन पर विचार करते समय तय किया जाने वाला मूल प्रश्न यह है कि क्या शिकायत में कार्रवाई का वास्तविक कारण निर्धारित किया गया है या संहिता के आदेश 7 नियम 11 से बाहर निकलने की दृष्टि से कुछ विशुद्ध रूप से भ्रामक कहा गया है।

जी.

16. "निचली विचारण न्यायालय को यह याद रखना चाहिए कि यदि वादी को सार्थक रूप से पढ़ने पर-कोई औपचारिक नहीं-यह मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो उसे आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो।यदि चतुराई से तैयार किए गए मसौदे ने कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा किया है, तो ए में शुरुआत में [इसे समाप्त करना होगा]

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

आदेश 10 सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई।

(टी. अरिवंदम बनाम टी. वी. सत्यपाल [(1977) 4 एस. सी. सी. 467], एस. सी. सी. पी. देखें।468.).

17. यह सामान्य कानून है कि किसी विशेष याचिका पर विचार नहीं किया जाना चाहिए और पूरी शिकायत को पढ़ा जाना चाहिए।जैसा कि देखा गया है

बी.

रूप लाल साथी न्यायालय नछत्तर सिंह गिल [(1982) 3 एस. सी. सी.

487], वाद के केवल एक भाग को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है और यदि कार्रवाई का कोई कारण प्रकट नहीं किया जाता है, तो समग्र रूप से वाद को अस्वीकार किया जाना चाहिए।

18. राप्टाकोस ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनामगणेश संपत्ति [(1998)

सी.

7 एस. सी. सी. 184] यह देखा गया कि समग्र रूप से वाद के कथनों को यह पता लगाने के लिए देखा जाना चाहिए कि क्या आदेश 7 के नियम 11 का खंड (डी) लागू था।

19. सोपान में सुखदेव साबले बनाम सहायक।चैरिटी कॉम.[(2004)

3 एस. सी. सी. 137] इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः(एस. सी. सी. पीपी. 146-47, पैरा 15) "15. शिकायत में विभिन्न अनुच्छेदों की भाषा का कोई विभाजन, विच्छेदन, पृथक्करण और व्युत्क्रम नहीं हो सकता है।यदि इस तरह के पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो यह व्याख्या के मूल सिद्धांत के विपरीत होगा जिसके अनुसार एक अभिवचन को उसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए समग्र रूप से पढ़ना होगा।किसी वाक्य या परिच्छेद को अलग से संदर्भ से बाहर पढ़ने की अनुमति नहीं है।यद्यपि यह सार है और न कि केवल रूप है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन अभिवचन का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह जोड़ या घटाव या शब्दों या इसके स्पष्ट व्याकरणिक अर्थ में परिवर्तन के बिना खड़ा है।संबंधित पक्ष का इरादा मुख्य रूप से उसकी दलीलों के कार्यकाल और समग्र रूप से ली गई शर्तों से एकत्र किया जाना है।साथ ही यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि बाल-विभाजन तकनीकों पर न्याय को हराने के लिए कोई पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

एफ.

20. हमारे उद्देश्य के लिए, खंड (घ) प्रासंगिक है।यह स्पष्ट करता है कि यदि वाद में सीमा से संबंधित आवश्यक अभिकथन नहीं हैं, तो उसे अस्वीकार किया जा सकता है।उक्त उद्देश्य के लिए, यह उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो इस तरह का आवेदन दायर करता है ताकि न्यायालय को संतुष्ट किया जा सके कि वादी यह खुलासा न करे कि वह समय पर कैसे है।उक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, यह अनिवार्य है

जी.

एच.

546

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

न्यायालय पूरे वाद को सत्यापित करने के लिए।आदेश 7 नियम 12 आदेश देता है कि जहां एक शिकायत खारिज कर दी जाती है, न्यायालय को इस तरह के आदेश के कारणों के साथ उस प्रभाव के लिए आदेश दर्ज करना होता है।"

उसी तर्ज पर**,** चर्च ऑफ क्राइस्ट चैरिटेबल में यह न्यायालय

ट्रस्ट एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसाइटी बनाम पोन्नियम्मन

एजुकेशनल ट्रस्ट 3, निम्नलिखित रूप में देखा गयाः- "10 ... उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि जहां शिकायत कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करती है, वहां दावा की गई राहत का कम मूल्यांकन किया जाता है और न्यायालय द्वारा अनुमत समय के भीतर सही नहीं किया जाता है, पर्याप्त रूप से मुहर नहीं लगाई जाती है और न्यायालय द्वारा निर्धारित समय के भीतर ठीक नहीं किया जाता है, किसी भी कानून द्वारा वर्जित, आवश्यक प्रतियों को संलग्न करने में विफल रहा और वादी नियम 9 के प्रावधानों का पालन करने में विफल रहा, न्यायालय के पास इसे अस्वीकार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।उपरोक्त प्रावधान को पढ़ने से यह भी स्पष्ट होता है कि संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत शक्ति का प्रयोग वाद दर्ज करने से पहले या प्रतिवादियों को समन जारी करने के बाद या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय किया जा सकता है।11. इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा सलीम भाई बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2003) 1 एस. सी. सी. 557 में समझाया गया था, जिसमें संहिता के आदेश 7 नियम 11 पर विचार करते हुए इसे निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 560, पैरा 9)

बी.

सी.

डी.

ई.

“9. आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि संबंधित तथ्य जिन पर उसके तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए गौर करने की आवश्यकता है, वे वाद के कथन हैं।निचली विचारण न्यायालय मुकदमे के किसी भी चरण में आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग कर सकती है-शिकायत दर्ज करने से पहले या मुकदमे के समापन से पहले किसी भी समय प्रतिवादी को समन जारी करने के बाद।आदेश 7 सी. पी. सी. के नियम 11 के खंड (ए) और (डी) के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के उद्देश्यों के लिए, वाद में कथन स्पष्ट हैं; लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा ली गई दलीलें उस स्तर पर पूरी तरह से अप्रासंगिक होंगी, इसलिए, आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत आवेदन पर निर्णय लिए बिना लिखित बयान दायर करने का निर्देश निचली विचारण न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग को छूते हुए प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं हो सकती है।”

एफ.

जी.

3 (2012) 8 एससीसी 706 ए

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

547

यह स्पष्ट है कि आदेश 7 नियम 11 पर विचार करने के लिए, विचारण न्यायालय को वाद में दिए गए कथनों पर गौर करना होगा और मुकदमे के किसी भी चरण में निचली विचारण न्यायालय द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है।यह भी स्पष्ट है कि लिखित कथन में किए गए कथन महत्वहीन हैं और वाद में किए गए कथन/याचिकाओं की जांच करना न्यायालय का कर्तव्य है।दूसरे शब्दों में, इस तरह के आवेदन पर निर्णय लेने में जिस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है वाद में किए गए कथन।उस स्तर पर, लिखित बयान में प्रतिवादी द्वारा की गई दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और मामले का निर्णय केवल शिकायत के कथनों पर किया जाना है।राप्टकोस में इन सिद्धांतों को दोहराया गया है।

बी.

ब्रेट एंड कंपनी लिमिटेड बनामगणेश संपत्ति, (1998) 7 एस. सी. सी. 184 और मायार (एच. के.) लिमिटेड बनाम।पोत एम. वी. फॉर्च्यून एक्सप्रेस, (2006) 3

सी.

एससीसी 100।

12. टी. अरिवंडम बनाम में निर्णय का उल्लेख करना भी उपयोगी है। टी. वी. सत्यपाल, (1977) 4 एस. सी. सी. 467, जिसमें उसी प्रावधान यानी आदेश 7 नियम 11 और इस तरह के आवेदन पर विचार करने में निचली न्यायालय के कर्तव्य पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने निचली टिप्पणियों के साथ निचली न्यायालय के न्यायाधीशों को याद दिलायाः(एस. सी. सी पी. 470, पैरा 5) "5. विद्वान मुन्सिफ को यह याद रखना चाहिए कि यदि वाद के सार्थक-औपचारिक नहीं-पढ़ने पर यह स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में, उसे आदेश 7, नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए ताकि यह ध्यान रखा जा सके कि उसमें उल्लिखित आधार पूरा हो।और, यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो आदेश 10, सी. पी. सी. के तहत पक्ष की खोजबीन करके पहली सुनवाई में ही उसे खत्म कर दें। एक सक्रिय न्यायाधीश गैर-जिम्मेदार कानूनी मुकदमों का जवाब होता है।निचली अदालतें पहली सुनवाई में पक्षकार की जांच करने पर अनिवार्य रूप से जोर देंगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके।दंड संहिता भी ऐसे लोगों से मिलने के लिए पर्याप्त संसाधनपूर्ण है, (अध्याय XI) और उनके खिलाफ शुरू किया जाना चाहिए।"

डी.

ई.

एफ.

यह स्पष्ट है कि यदि आरोप परेशान करने वाले और निरर्थक हैं और मुकदमा करने के स्पष्ट अधिकार या सामग्री (ओं) का खुलासा नहीं करते हैं, तो यह विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य है कि वह आदेश 7 नियम 11 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करे।यदि चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है जैसा कि न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने उपरोक्त निर्दिष्ट निर्णय में कहा है, तो संहिता के आदेश 10 के तहत पक्षों की जांच करके पहली सुनवाई में इसे शुरू में ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।"

जी.

एच.

हम मदनुरी में इस न्यायालय के प्रदर्शन के लिए भी विज्ञापन दे सकते हैं।

श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल **4.**अनुच्छेद **7** में

उक्त निर्णय पर, इस न्यायालय ने कानूनी स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार दोहराया हैः-

“7. यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो आदेश 7 नियम 11 के तहत शिकायत को खारिज किया जा सकता है।यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश 7 नियम 11, सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग न्यायालय द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है।आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर गौर करने की आवश्यकता है, वे केवल वाद के कथन हैं।यदि वादी के संपूर्ण और सार्थक अध्ययन पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा दायर करने के किसी भी अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में मुकदमा स्पष्ट रूप से परेशान करने वाला और निरर्थक है, तो न्यायालय को आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि न्यायालय को सिविल कार्रवाई को सीमा तक समाप्त करने की शक्ति प्रदान की गई है, इसलिए आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत अभियोग की अस्वीकृति की शक्ति के प्रयोग के लिए उल्लिखित शर्तों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए।यह पता लगाने के लिए कि क्या अभिकथन कार्रवाई के कारण का खुलासा करते हैं या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा वर्जित है, वाद के अभिकथनों को समग्र रूप से पढ़ना होगा।यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि यह सवाल कि क्या मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। अभियोग की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय लिखित बयान के साथ-साथ प्रतिवादी की दलीलें पूरी तरह से महत्वहीन हैं।यहां तक कि जब वाद में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर समग्र रूप से सही माना जाता है, यदि वे दिखाते हैं कि मुकदमा किसी भी कानून द्वारा वर्जित है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन पर विचार किया जा सकता है और आदेश 7 नियम 11 सी. पी. सी. के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है।यदि वाद का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हुआ है, तो न्यायालय इसे जल्द से जल्द समाप्त कर देगी ताकि फर्जी मुकदमेबाजी शुरुआती चरण में समाप्त हो जाए।”

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

अच्छी तरह से स्थापित कानूनी स्थिति को ध्यान में रखते हुए, अब हम अपीलार्थी द्वारा दायर किए गए वाद का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत वाद की अस्वीकृति के लिए एक उपयुक्त मामला था। जैसा कि निचली न्यायालय के फैसले से पता चला है, यह स्पष्ट है कि निचली न्यायालय ने कोई प्रयास नहीं किया

जी.

4 (2017) 13 एससीसी 174 ए

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

549

उपरोक्त निर्णयों में बताए गए तरीके से वाद का विश्लेषण करें।यहां तक कि पहली अपील पर विचार करने वाले जिला न्यायालय और दूसरी अपील के साथ उच्च न्यायालय ने भी ऐसा करने से इनकार कर दिया।यह न्यायालय का बाध्यकारी कर्तव्य है कि वह समग्र रूप से वाद की जांच करे न कि उसमें चयनित अभिकथनों की।इसके लिए, हमें शिकायत में दिए गए कथनों का विज्ञापन करने की आवश्यकता है।वादपत्र के अनुच्छेद 8 से 15, जो हमारे अनुसार सुसंगत अभिकथन हैं, निम्नानुसार पढ़े जाते हैंः-

बी.

‘‘8.पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित सुविधा को 01.04.1997 से बढ़ा दिया गया था और जुलाई, 2000 के महीने में कहीं न कहीं वादी ने देखा कि प्रतिवादी वादी को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से स्थानीय चेक और ड्राफ्ट पर प्रति हजार रुपये की दर से ब्याज/कमीशन ले रहे थे।

सी.

9. कि उपरोक्त ब्याज/कमीशन के अधिक शुल्क का पता चलने के बाद वादी ने **21.07.2000** पर प्रतिवादियों को अधिक शुल्क लेने की शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा और उसके बाद दिए गए आश्वासन के अनुसार ब्याज/कमीशन लिया गया।

डी.

10. कि कमीशन/ब्याज के रूप में अधिभारित राशि को वादी को वापस नहीं किया गया था और वादी ने बैंक यानी महाप्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक को संबोधित निम्नलिखित पत्र भेजे जिसमें

संकेत दिया गया था कि अधिभारित राशि को वादी को ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिएः-

ई.

दिनांकित पत्र 12.10.2000,24.10.2000,30.10.2000,7.11.2000,24.12.2000,01.03.2001,28.03.2001,22.5.2001 और 20.06.2001।उपरोक्त सभी पत्रों में यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि वादी से कमीशन की गणना और कटौती कैसे की गई थी।

एफ.

11. कि सहायक महाप्रबंधक**,** श्री**.** क्षेत्रीय कार्यालय**-**बी**,** दिल्ली के पी**.** एस**.** बावा ने दिनांकित **9.7.2001** पत्र के माध्यम से वादी को सूचित किया कि संबंधित अवधि के दौरान छूट दिए गए स्थानीय चेक**/**डी**.** डी**.** के संबंध में वादी के प्रतिनिधित्व पर शाखा कार्यालय की टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और वादी को माननीय वित्त मंत्री**,** भारत सरकार**,** नई दिल्ली को दिनांकित **31.10.2001** पत्र प्रस्तुत करना पड़ा।

जी.

एच.

12. कि प्रतिवादियों ने कुछ समय के लिए प्रतिवादियों के लिए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए ब्याज लिया है, धन से बाहर रहे।

13. 08.05.2002 दिनांकित उस पत्र के माध्यम से**,** वरिष्ठ प्रबंधक ने वादी को सूचित किया कि चेक प्रचलित दरों पर खरीदे जा रहे हैं।वह जवाब वास्तविक मुद्दे को दरकिनार करने के लिए दिया गया था**,** जिसके संबंध में क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक श्री पी**.** एस**.** बावा से दिनांकित पत्र प्राप्त हुआ था**,** जैसा कि पूर्वगामी पैरा में संदर्भित है।

बी.

14. कि, इसके बाद, वादी ने दिनांकित 12.07.2002,22.09.2002,24.3.2003 पत्र भेजे, जिसके साथ प्रस्तावित/अनुमानित अतिरिक्त राशि का विवरण दिया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि Rs.31,57,484/- की राशि लगभग उससे अधिक ली गई प्रतीत

होती है जो वास्तव में ली जानी चाहिए थी और सटीक राशि की गणना की जानी चाहिए और वादी को वापस कर दी जानी चाहिए।बैंक ने इन पत्रों का कोई जवाब नहीं दिया।

सी.

डी.

15. प्रतिवादी संख्या **2** के उस वरिष्ठ प्रबंधक ने दिनांकित **19.09.2002** पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया था और मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद वादी ने दिनांकित **03.06.2003** का एक और पत्र भेजा।**"**

ई.

(जोर दिया गया) फिर से, शिकायत के पैराग्राफ 28 में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः- "28. कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ जब अवैध बरामदगी देखी गई और दिनांकित 21.07.2000 का मुकदमा दायर करने का कारण प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए भेजा गया कि ब्याज की गणना और वसूली कैसे की जा रही थी और विभिन्न अन्य तिथियों पर जब अभियुक्तों को शुल्क की गई अतिरिक्त राशि की वापसी के अनुरोध के साथ पत्र भेजे गए थे और 9.7.2001 पर जब वादी को उचित गणना और धनवापसी का आश्वासन दिया गया था और 8.5.2002,12.7.2002 और 22.9.2002 पर जब मामले को फिर से 19.9.2002,3.6.2003 पर निपटाने के लिए अनुरोध किए गए थे और 23.12.2003 पर कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ जब बचाव पक्ष को कानूनी नोटिस दिया गया था।जब ए के लिए कानूनी नोटिस

एफ.

जी.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

551

प्रतिवादियों को खातों का प्रत्यर्पण किया गया था और कार्रवाई का कारण अभी भी बना हुआ है क्योंकि खातों को अभी तक प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही प्रतिवादियों द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि को वापस किया गया है।"

वादपत्र के कथनों से, यदि समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी का दावा यह है कि प्रत्यर्थियों ने अक्टूबर, 2007 तक वित्तीय सुविधा का विस्तार किया था,

लेकिन जुलाई, 2000 के महीने में कहीं न कहीं, अपीलार्थी ने देखा कि प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से स्थानीय चेक और ड्राफ्ट पर 4 रुपये प्रति हजार की दर से ब्याज/कमीशन ले रहे थे।इसके तुरंत बाद, अपीलार्थी ने प्रतिवादी-बैंक को मामले में सुधारात्मक कदम उठाने के लिए 21.7.2000 दिनांकित पत्र के माध्यम से लिखा।फिर उस संबंध में पक्षों के बीच पत्राचार हुआ और अपीलार्थी को प्रत्यर्थी-बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आश्वासन दिया गया कि जल्द से जल्द एक उचित निर्णय लिया जाएगा। उस संबंध में प्रासंगिक दावा शिकायत के पैराग्राफ 11 में पाया जाता है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय-बी, दिल्ली के सहायक महाप्रबंधक-श्री पी. एस. बावा ने दिनांकित 9.7.2001 पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया कि संबंधित शाखा कार्यालय से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और इसके प्रतिनिधित्व पर जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाएगा।इसके बाद, 8.5.2002 पर, प्रत्यर्थी-बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने अपीलार्थी को सूचित किया कि चेक प्रचलित दरों पर खरीदे जा रहे थे; जो याचिका, अपीलार्थी के अनुसार, क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक द्वारा पहले निर्दिष्ट अपने पत्र दिनांक 9.7.2001 में बताई गई स्थिति से विचलित थी।परिणामस्वरूप, अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी-बैंक के अधिकारियों को 12.7.2002,22.9.2002 और 24.3.2003 दिनांकित पत्रों के माध्यम से लिखा।विशेष रूप से, शिकायत के पैराग्राफ 15 में यह कहा गया है कि प्रतिवादी-बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक ने दिनांकित 19.9.2002 पत्र के माध्यम से अपीलार्थी को सूचित किया था कि सब कुछ नियमों के अनुसार किया जा रहा था और अपीलार्थी को मामले को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।यह दावा किया जाता है कि इस सूचना के बावजूद, अपीलार्थी ने प्रतिवादी-बैंक के साथ इस उम्मीद के साथ पत्राचार करना जारी रखा कि इस मुद्दे को बैंक द्वारा उचित स्तर पर हल किया जाएगा और अंत में 28.11.2003 पर एक कानूनी नोटिस जारी किया गया, जिसका प्रतिवादी-बैंक द्वारा विधिवत जवाब दिया गया था।फिर भी, अपीलार्थी ने 7.1.2005 पर एक और कानूनी नोटिस दिया और उसके बाद, फरवरी, 2005 में विषय मुकदमा दायर करने के लिए आगे बढ़े।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. इन सभी घटनाओं को शिकायत के पैराग्राफ 28 में दोहराया गया है, जो मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण से संबंधित है।वास्तव में, उक्त अनुच्छेद इस अभिव्यक्ति के साथ शुरू होता है "वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ उपार्जित मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कारण जब अवैध बरामदगी देखी गई थी और प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए 21.7.2000 दिनांकित पत्र भेजा गया था कि ब्याज की गणना कैसे की जा रही थी।" इस कथन को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता है।जैसा कि ऊपर कहा गया है, शिकायत को समग्र रूप से पढ़ने पर, यह देखा जाता है कि शिकायत में किए गए मामले की गंभीरता यह है कि अपीलार्थी ने जुलाई, 2000 में विसंगति को देखा और तुरंत इस मामले को प्रतिवादी-बैंक के अधिकारियों के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया और जवाब में, बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक ने अपीलार्थी को 9.7.2001 दिनांकित पत्र के माध्यम से लिखित रूप में सूचित किया था कि इसके प्रतिनिधित्व की जांच की जा रही है और शाखा कार्यालय की टिप्पणियों को आमंत्रित किया गया है और इसकी प्राप्ति के बाद मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।चूंकि अपीलार्थी को आगे कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे वित्त मंत्री, भारत सरकार को दिनांकित 31.10.2001 पत्र के माध्यम से एक अभ्यावेदन देना पड़ा और संभवतः इसके कारण, अपीलार्थी को वरिष्ठ प्रबंधक से दिनांकित 8.5.2002 पत्र के माध्यम से एक संचार प्राप्त हुआ जिसमें अपीलार्थी को सूचित किया गया कि चेक प्रचलित दरों पर खरीदे जा रहे थे। वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा लिया गया यह रुख सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय के समक्ष विचाराधीन मुद्दे को साइड-ट्रैक करने के लिए था, जिसका उल्लेख उनके दिनांकित पत्र 9.7.2001 में किया गया था।अपीलार्थी द्वारा किया गया मामला यह है कि अपीलार्थी को सहायक महाप्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय से कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ था और इसके बजाय, पहली बार प्रतिवादी-बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा भेजे गए पत्र के माध्यम से सूचित किया गया था कि बैंक द्वारा की गई सभी कार्रवाई नियमों के अनुसार है और इसलिए, अपीलार्थी को इस संबंध में आगे कोई पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है।बैंक की इस प्रतिक्रिया को बैंक के अधिकृत अधिकारी द्वारा दृढ़ इनकार या इनकार के रूप में भी माना जा सकता है, जिससे बैंक पर मुकदमा करने के लिए कार्रवाई का कारण बनता है।8. इस प्रकार समझा जाए तो प्रत्यर्थी-बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा भेजे गए 8.5.2002 दिनांकित पत्र को, अधिक से अधिक, प्रत्यर्थी-बैंक पर मुकदमा करने के लिए अपीलार्थी को कार्रवाई के कारण के स्रोत के रूप में माना जाए। इसके बाद यह कहा जाता है कि अपीलार्थी को 19.9.2002 दिनांकित एक संचार प्राप्त हुआ, जिसमें अपीलार्थी को सूचित किया गया कि उसे विषय वस्तु के संबंध में बैंक के साथ आगे कोई पत्राचार नहीं करना चाहिए।तब तक, अपीलार्थी को उत्तरदाताओं के क्षेत्रीय कार्यालय सहित अपने दावे के अनुकूल समाधान की आशावादी उम्मीद थी।अपीलार्थी , ए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

553

इसलिए, 28.11.2003 पर एक कानूनी नोटिस भेजना पड़ा, जिस पर बैंक ने 23.12.2003 पर जवाब दिया।इन तिथियों को गिनते हुए, 23.2.2005 पर दायर की गई शिकायत सीमित थी, जैसा कि शिकायत के पैराग्राफ 28 में कहा गया है।नतीजतन, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत इस तरह की शिकायत को खारिज करने का सवाल ही नहीं उठा।

9. 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है" है, जो मुकदमों से संबंधित अनुसूची के प्रथम खंड में अन्य अनुच्छेदों में उपयोग की गई अभिव्यक्ति से स्पष्ट रूप से अलग है, जो स्पष्ट रूप से एक निर्दिष्ट घटना के होने का उल्लेख करती है।जबकि, अनुच्छेद 113 एक अवशिष्ट खंड है और जिसे इस मामले में तीनों न्यायालयों द्वारा लागू किया गया है, विशेष घटना के घटित होने को निर्दिष्ट नहीं करता है, बल्कि केवल कार्रवाई के कारण के संचय को संदर्भित करता है जिसके आधार पर मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होगा।

बी.

सी.

10. सहमति से, अनुच्छेद 113 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति अनुच्छेद 58 (जब "पहले" मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है), अनुच्छेद 59 (जब वादी को दस्तावेज या डिक्री अपास्त करना करने या अलग रखने या "पहले" रद्द किए गए अनुबंध को जानने का अधिकार देने वाले तथ्य उसे ज्ञात हो जाते हैं) और अनुच्छेद 104 (जब वादी "पहले" होता है तो उसने अधिकार का आनंद लेने से इनकार कर दिया) जैसे मुकदमों से संबंधित प्रथम खंड के अन्य अनुच्छेदों में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों से अलग है।निचली अदालत द्वारा लिया गया दृष्टिकोण, जिसने पहली अपीलीय अदालत और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय की सराहना

की, अनिवार्य रूप से अनुच्छेद 113 में अभिव्यक्ति को पढ़ने के लिए आवश्यक होगा-जब मुकदमा (पहले) करने का अधिकार प्राप्त होता है।यह उस प्रावधान को फिर से लिखना और विधायी इरादे के साथ हिंसा करना होगा।हमें यह मान लेना चाहिए कि संसद ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के बीच के अंतर से अवगत थी और उसने 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 में "जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है" सामान्य अभिव्यक्ति का उपयोग करने की सलाह दी थी। चूंकि, इसमें 1963 के अधिनियम की धारा 22 के तहत आने वाले मामलों को भी शामिल किया जाएगा, अर्थात निरंतर उल्लंघन और अपकृत्य।

डी.

ई.

एफ.

11. हम उपयोगी रूप से तीन-न्यायाधीशों की पीठ के कथन का उल्लेख कर सकते हैं।

भारत संघ और अन्य बनाम में इस न्यायालय कावेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स

लिमिटेड और ए. एन. आर. 5, जिसे 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 के विपरीत अनुच्छेद 58 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति की जांच करने का अवसर मिला है। हम उक्त निर्णय के पैराग्राफ 19 से 21 में विज्ञापन दे सकते हैं, जो इस प्रकार हैः- “19. सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 और 113 इस प्रकार हैंः

जी.

5 (2004) 2 एस. सी. सी. 747

एच.

मुकदमे की अवधि का विवरण

जिस समय से

सीमा

अवधि शुरू होती है

58. किसी अन्य को प्राप्त करने के लिए

तीन साल जब मुकदमा करने का अधिकार

घोषणा।

पहली कमाई।

*

*

*

बी.

113. कोई भी सूट जिसके लिए नहीं

तीन साल जब मुकदमा करने का अधिकार

सीमा की अवधि है

अर्जित करता है।

कहीं और प्रदान किया गया

यह अनुसूची।

20. यह ऐसा मामला नहीं था जिसमें उत्तरदाताओं ने अपने अधिकारों की घोषणा के लिए प्रार्थना की हो।माल ढुलाई के शुल्क में अनुचितता के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई घोषणा न्यायाधिकरण द्वारा दी गई थी।

सी.

21. इसके अलावा, एक अंतर जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह यह है कि अनुच्छेद 58 के संदर्भ में तीन साल की अवधि को उस तारीख से गिना जाना है जब "पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है", उसके अनुच्छेद 113 के संदर्भ में, सीमा की अवधि को उस तारीख से गिना जाएगा जब "मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है"।द.

डी.

इस प्रकार**,** अनुच्छेद **58** और अनुच्छेद **113** के बीच का अंतर स्पष्ट है क्योंकि किसी दिए गए मामले में मुकदमा करने का अधिकार किसी पक्षकार को अलग**-**अलग समय पर प्राप्त हो सकता है और इस प्रकार**,** जबकि अनुच्छेद **58** के संदर्भ में सीमा की अवधि उस तारीख से मानी जाएगी जिस दिन कार्रवाई का कारण पहले उत्पन्न हुआ था**,** बाद में सीमा की अवधि की गणना उस अंतिम दिन के आधार पर अलग**-**अलग की जाएगी जब उसके लिए कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।**”**

ई.

एफ.

(जोर दिया गया)

12. इसी तरह, खत्री होटल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्र में। बनाम संघ

भारत और एएनआर। 6, इस न्यायालय ने पुराने सीमा अधिनियम (भारतीय सीमा अधिनियम, 1908) के अनुच्छेद 120 के विपरीत अनुच्छेद 58 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति पर विचार किया।पैराग्राफ 24 में, न्यायालय ने इस प्रकार उल्लेख किया:-

जी.

"24. सीमा अधिनियम, 1963 (संक्षेप में "1963 अधिनियम") सभी संभावित मुकदमों, अपीलों आदि के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। उस अधिनियम की धारा 2 (जे) "सीमा की अवधि" अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है -

6 (2011) 9 एससीसी 126 ए

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

555

वाद, अपील या आवेदन के लिए अनुसूची में निर्धारित सीमा की अवधि।धारा 3 में कहा गया है कि निर्धारित अवधि के बाद शुरू किया गया प्रत्येक वाद, वरीयता प्राप्त अपील या आवेदन, धारा 4 से 24 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, खारिज कर दिया जाएगा, भले ही सीमा को बचाव के रूप में स्थापित नहीं किया गया हो।अगर एक सूट

यदि यह किसी विशिष्ट वस्तु के अंतर्गत नहीं आता है, तो यह अवशिष्ट वस्तु के अंतर्गत आएगा।दूसरे शब्दों में, अवशिष्ट वस्तु हर प्रकार के मुकदमे पर लागू होती है जो अनुसूची में अन्यथा प्रदान नहीं की गई है।"

बी.

(दो अनुच्छेदों (अनुच्छेद 58 और अनुच्छेद 120) के बीच के अंतर को रिपोर्ट किए गए निर्णय के पैराग्राफ 27 से 30 में समझाया गया है, जो इस प्रकार है:-

सी.

"27. उपरोक्त दो पुनरुत्पादित लेखों की भाषा से जो अंतर स्पष्ट हैं, वे हैं:

डी.

(i) 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 के तहत निर्धारित सीमा की अवधि छह साल थी जबकि 1963 के अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा की अवधि तीन साल है और,

(ii) 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद **120** के तहत**,** सीमा की अवधि तब शुरू होती है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।इसके विपरीत**,** अनुच्छेद **58** के तहत निर्धारित अवधि तब शुरू होती है जब पहले मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।

ई.

28. 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 की व्याख्या न्यायिक समिति द्वारा बोलो बनाम कोकलान [(1929-30) 57 IA 325 में की गई थीःए. आई. आर. 1930 पी. सी. 270] और यह आयोजित किया गयाः(आई. ए. पी. 331)

एफ.

“मुकदमा करने का कोई अधिकार तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुकदमे में दावा किए गए अधिकार और उसके उल्लंघन की प्राप्ति न हो, या कम से कम उस प्रतिवादी द्वारा उस अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी न हो, जिसके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।” एक ही नज़र से

अन्नामलाई चेट्टियार बनाम मुथुकरुप्पन में दोहराया गया था

चेट्टियार [आई. एल. आर. (1930) 8 रंग 645] और गोबिंद नारायण सिंह बनाम शाम लाल सिंह [(1930-31) 58 आई. ए. 125]।

जी.

29. रुखमाबाई बनाम लाला लक्ष्मीनारायण (ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 335) में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के फैसलों पर ध्यान दिया और निम्नलिखित शब्दों में कानूनी स्थिति का सारांश दियाः(रुखमाबाई मामला [ए. आई. आर. 1960 एस. सी. 335, ए. आई. आर. पी.349, पैरा 33)

एच.

“33. ... [1908 अधिनियम**]** के अनुच्छेद **120** के तहत मुकदमा करने का अधिकार तब प्राप्त होता है जब प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से या स्पष्ट रूप से मुकदमे में वादी द्वारा प्रतिपादित अधिकार का उल्लंघन करने की धमकी दी हो।इस तरह के अधिकार के लिए किसी भी पक्ष द्वारा दी गई हर धमकी**,** चाहे वह कितनी भी अप्रभावी और हानिरहित क्यों न हो**,** को एक स्पष्ट और स्पष्ट धमकी नहीं माना जा सकता है ताकि उसे मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर किया जा सके।क्या कोई विशेष खतरा कार्रवाई के अनिवार्य कारण को जन्म देता है**,** यह इस सवाल पर निर्भर करता है कि क्या वह खतरा प्रभावी रूप से उक्त अधिकार पर आक्रमण करता है या खतरे में डालता है।**”**

बी.

30. 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 58 को अधिनियमित करते समय, विधायिका ने 1908 के अधिनियम के अनुच्छेद 120 की भाषा को जानबूझकर अलग कर दिया है। "पहले" शब्द का उपयोग "मुकदमा" और "उपार्जित" शब्दों के बीच किया गया है।इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई मुकदमा कार्रवाई के कई कारणों पर आधारित है, तो सीमा की अवधि उस तारीख से चलने लगेगी जब मुकदमा करने का अधिकार पहले प्राप्त होता है।इसे अलग तरह से कहने के लिए, अधिकार का लगातार उल्लंघन नए कारण को जन्म नहीं देगा और मुकदमा खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा यदि यह उस दिन से गणना की गई सीमा की अवधि से परे है जब मुकदमा करने का अधिकार पहली बार अर्जित किया गया था।"

सी.

डी.

(विशेष रूप से, अनुच्छेद 113 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति अनुच्छेद 120 के समान है, अर्थात्, "जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है"।इसलिए, इस उक्ति में अंतर्निहित सिद्धांत को अनुच्छेद 113 पर प्रोप्रियो वीगर लागू करना चाहिए।

ई.

13. यह अच्छी तरह से स्थापित स्थिति है कि मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई के कारण में तथ्यों का बंडल शामिल होगा।इसके अलावा, मुकदमे के सीमित होने का तथ्य, आम तौर पर, तथ्य और कानून का एक मिश्रित सवाल होगा।उस कारण से भी, सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 को लागू करने से इनकार किया जाता है।वर्तमान मामले में, वाद में दावा यह है कि अपीलार्थी को वास्तव में विश्वास था कि उसके दावे पर क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जा रही थी और क्षेत्रीय कार्यालय जल्द से जल्द उचित निर्णय लेगा।यह विश्वास बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक से दिनांक 8.5.2002 का पत्र प्राप्त होने के बाद हिल गया था, जिसके बाद दिनांक 19.9.2002 का एक और पत्र आया था, जिसमें कहा गया था कि बैंक द्वारा की गई कार्रवाई नियमों के अनुसार थी और अपीलार्थी को आगे इस संबंध में बैंक के साथ पत्राचार करने की आवश्यकता नहीं है।प्रत्यर्थी-बैंक की यह दृढ़ प्रतिक्रिया प्रत्यर्थी-बैंक पर मुकदमा करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को प्रेरित कर सकती है।इसके अलावा, यह तथ्य कि अपीलार्थी ने अंततः ए

एफ.

जी.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

28.11.2003 पर और फिर 7.1.2005 पर एक कानूनी नोटिस भेजा और फिर 23.2.2005 पर मुकदमा दायर किया, जिसे कार्रवाई के कारण के रूप में भी लागू किया जाता है।क्या अपीलार्थी द्वारा ली गई यह याचिका वास्तविक और वैध है, यह उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर तथ्य और कानून का एक मिश्रित प्रश्न होगा।

14. इस तर्क पर लौटते हुए कि पक्षों के बीच पत्रों का आदान-प्रदान या पत्राचार सीमा की अवधि को बढ़ाने का आधार नहीं हो सकता है, हमारी राय में, हमारे द्वारा अब तक लिए गए दृष्टिकोण के लिए, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।चूंकि, वादपत्र में किए गए अभिकथनों से यह ध्यान में आया है कि वरिष्ठ प्रबंधक से पत्र प्राप्त करने पर अपीलार्थी को मुकदमा दायर करने का अधिकार, दिनांक 8.5.2002, और विशेष रूप से दिनांक 19.9.2002 पत्र में, और फिर से प्रत्यर्थियों द्वारा दृढ़ इनकार पर, 28.11.2003 पर अपीलार्थी द्वारा भेजे गए कानूनी नोटिस के जवाब में 23.12.2003 अधिवक्ता के पत्र के माध्यम से; और एक बार फिर 7.1.2005 पर अनुवर्ती कानूनी नोटिस पर, फरवरी, 2005 में दायर की गई शिकायत पूरी तरह से सीमा के भीतर होगी।8.5.2002 और विशेष रूप से 19.9.2002 पर उत्तरदाताओं द्वारा दृढ़ प्रतिक्रिया की पूर्व घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, इसके बाद पत्राचार हुआ जिसमें अपीलार्थी द्वारा भेजे गए दो कानूनी नोटिस शामिल थे, भले ही उनकी उपेक्षा की गई हो, 23.2.2005 पर दायर शिकायत/मुकदमा अनुच्छेद 113 के संदर्भ में सीमा के भीतर होगा।

बी.

सी.

डी.

15. प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के स्पष्टीकरण पर भरोसा किया था

बूटा मल बनाम भारत संघ **7,** एस**.** एस**.** राठौर बनाम मध्य प्रदेश राज्य **8,** वेंकप्पा गुरप्पा होसुर बनाम कसावा सी/ओ रंगप्पा कुलगोड **9,** और कंडीमल्ला राघवैया एंड कंपनी बनाम राष्ट्रीय बीमा कंपनी और अन्र। **10** और सी**.** पी**.** में दिल्ली उच्च न्यायालय। कपूर

ई.

(उपर्युक्त), उपरोक्त तर्क को पुष्ट करने के लिए, जो, जैसा कि ऊपर कहा गया है, विचाराधीन वाद में कथनों के आलोक में अनुपलब्ध है।यह देखने के लिए पर्याप्त है कि वाद में किए गए कथनों को देखते हुए, उत्तरदाताओं का यह तर्क कि अपीलार्थी ने सीमा अवधि का विस्तार प्राप्त करने के लिए पत्राचार पर भरोसा किया था, असमर्थनीय है।हालाँकि, शिकायत में किए गए कथन इस प्रभाव के लिए बहुत स्पष्ट हैं कि प्रत्यर्थी-बैंक द्वारा एकतरफा ब्याज/कमीशन वसूलने के बारे

में अपीलार्थी की शिकायत को प्रत्यर्थी-बैंक के वरिष्ठ प्रबंधक द्वारा दिनांकित 8.5.2002 पत्र और विशेष रूप से पत्र में दृढ़ता से अस्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया था।

एफ.

जी.

7 ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1716 8 (1989) 4 एस. सी. सी. 582 9 (1997) 10 एस. सी. सी. 66 10 (2009) 7 एस. सी. सी. 768

एच.

दिनांकित 19.9.2002 और फिर से 23.12.2003 पर अधिवक्ता के पत्र द्वारा, कार्रवाई के कारण और मुकदमा करने के अधिकार के संचय को जन्म देते हुए।

16. प्रत्यर्थियों ने इस न्यायालय के कथन पर भी भरोसा किया था

फ़तेहजी एंड कंपनी एंड एनर बनामएल**.** एम**.** नागपाल और अन्य। **11.**वास्तव में**,**

उस मामले में, इस न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर वाद की अस्वीकृति के आदेश को बरकरार रखा कि उस मामले की तथ्य स्थिति में 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 54 के तहत मुकदमे को सीमित किया गया था।न्यायालय दिनांक 2.7.1973 के बिक्री के लिखित समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए एक मुकदमे पर विचार कर रहा था और शर्तों के अनुसार, अनुबंध का प्रदर्शन 2.12.1973 के लिए तय किया गया था।उस पृष्ठभूमि में, न्यायालय ने नोट किया कि पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए बाद के पत्र सीमा की अवधि बढ़ाने का आधार नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा, न्यायालय ने 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 54 द्वारा शासित मामले पर विचार किया, जो सीमा की अवधि शुरू करने के लिए समयसीमा निर्धारित करता है, जो प्रदर्शन के लिए निर्धारित तिथि है, या, यदि ऐसी कोई तारीख निर्धारित नहीं है, जब वादी को नोटिस है कि प्रदर्शन से इनकार कर दिया गया है।1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 द्वारा शासित मामलों में, जैसे कि वर्तमान मामले में, हालांकि, ध्यान देने की आवश्यकता है-"जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है" (और तब नहीं जब "पहले" मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है)।

बी.

सी.

डी.

17. इसी तरह, हरदेश ओरेस (पी) लिमिटेड बनाम के मामले में।हेडे

और कंपनी 12, इस न्यायालय ने अनुच्छेद 58 के संदर्भ में निषेधाज्ञा के लिए एक मुकदमे से संबंधित सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत वाद की अस्वीकृति के आदेश को बरकरार रखा, जो स्पष्ट रूप से उस समय को अभिनिर्धारित करता है जब "पहले" मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 को लागू करने के लिए उसमें अपीलार्थी के तर्क को पैराग्राफ 33 में नोट किया गया है और खारिज कर दिया गया है।मामले के उस दृष्टिकोण में, इस निर्णय में स्पष्टीकरण उत्तरदाताओं के लिए कोई लाभ नहीं होगा।

ई.

18. कंडीमल्ला राघवैया (ऊपर) में निर्णय पर लौटते हुए, न्यायालय ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24 ए की व्याख्या की, जो उस तारीख से दो साल के भीतर सीमा की अवधि को परिभाषित करती है जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था।उस प्रावधान के आलोक में, न्यायालय ने नोट किया कि विषय बीमा पॉलिसी के संबंध में कार्रवाई का कारण 22/23.3.1988 पर उत्पन्न हुआ, जब गोदाम में आग लगी, जिससे उस बैंक के साथ अनुमानित तंबाकू स्टॉक को नुकसान पहुंचा, जिसके खाते में अपीलार्थी द्वारा पॉलिसी ली गई थी।दूसरे शब्दों में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 24 ए में प्रावधान अन्य अनुच्छेदों में निर्दिष्ट समय सीमा के अनुरूप है।

एफ.

जी.

11 (2015) 8 एससीसी 390 12 (2007) 5 एससीसी 614 ए

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

559

लेखाओं से संबंधित मुकदमों के संबंध में 1963 के अधिनियम की अनुसूची के प्रथम खंड के तहत; और अनुच्छेद 113 के समान नहीं, जिसमें उस अवधि से तीन साल के समय की परिकल्पना की गई है जब मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है (न कि जब "पहले" मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है)।

19. जहां तक बूटा मल **(**ऊपर**)** और द ईस्ट एंड वेस्ट स्टीमशिप**,** जॉर्जटाउन**,** मद्रास बनाम का संबंध है। एस**.** के**.** रामलिंगम चेट्टियार **13,**

बी.

न्यायालय पुराने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 31 से संबंधित एक मामले पर विचार कर रहा था, जिसमें प्रावधान किया गया था कि जिस समय से अवधि शुरू होती है, वह समय है जब माल की डिलीवरी की जानी चाहिए।1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 113 द्वारा शासित वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति और पहले से दर्ज किए गए कारणों के लिए भी इन निर्णयों का कोई लाभ नहीं होगा।

सी.

20. इसी तरह, एस. एस. राठौर (ऊपर) में, न्यायालय 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 58 द्वारा शासित एक मामले पर विचार कर रहा था, जो विशेष रूप से प्रदान करता है कि समय तब शुरू होता है जब "पहले" मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होता है।राम राकेश गुप्ता (ऊपर) में, न्यायालय ने 1963 के अधिनियम के अनुच्छेद 59 द्वारा शासित एक मामले पर विचार किया, जिसमें प्रावधान है कि मुकदमा तब दायर किया जा सकता है जब वादी को दस्तावेज या डिक्री को रद्द करने या अपास्त करनाने या अनुबंध को रद्द करने के लिए हकदार तथ्य "पहले" उसे पता चल जाए।न्यायालय ने राय दी कि संबंधित वाद में उल्लिखित जानकारी को अपर्याप्त और अपूर्ण नहीं कहा जा सकता है।अदालत ने दीवानी न्यायाधीश के फैसले को पलट दिया और उच्च न्यायालय ने शिकायत को खारिज कर दिया।इस न्यायालय ने यह भी कहा कि सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 के तहत आवेदन पर निर्णय लेते समय, शिकायत की कुछ पंक्तियों या अंशों को अलग-अलग नहीं पढ़ा जाना चाहिए और इसके वास्तविक महत्व का पता लगाने के लिए अभिवचनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए।उस मामले में भी, निचली अदालत और उच्च न्यायालय प्रासंगिक कथनों का विज्ञापन करने में विफल रहे थे, जैसा कि वाद में कहा गया था, जिसे इस अदालत ने अस्वीकार कर दिया था।वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले देखा गया है, विचारण न्यायालय वाद में अभिकथनों का विज्ञापन करने और उनका विश्लेषण करने में विफल रहा था, लेकिन चुनिंदा रूप से वाद में इस दावे पर ध्यान दिया कि अपीलार्थी को जुलाई, 2000 में विसंगतियों के बारे में पता चला और फिर फरवरी, 2005 में दायर किए गए सीमित कानून द्वारा वर्जित वाद को अस्वीकार करने के लिए आगे बढ़ा।

डी.

ई.

एफ.

जी.

21. इसलिए मामले को समग्र रूप से देखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि वर्तमान मामले की तथ्य स्थिति में विचारण न्यायालय, प्रथम अपीलीय न्यायालय और उच्च न्यायालय के निर्णयों को अस्वीकार करते हुए,

सी. पी. सी. के आदेश VII नियम 11 (डी) के तहत विचाराधीन वाद को कायम नहीं रखा जा सकता है।नतीजतन, उन्हें रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।

22. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह अपील सफल हो जाती है और वाद को कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए निचली न्यायालय की फाइल में उसके मूल नंबर पर बहाल कर दिया जाता है।दोनों पक्षों के लिए उपलब्ध सभी दलीलों को खुला रखा जाता है, जिसमें लिखित बयान में ली गई याचिका के आधार पर अन्य मुद्दों के साथ तय की जाने वाली सीमा का मुद्दा और तथ्यात्मक मामलों पर वर्तमान निर्णय में की गई टिप्पणियों से अप्रभावित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य शामिल हैं।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

सी.

सिविल अपील सं। **2020** का **2515**

(एस**.** एल**.** पी**. (**सी**)** संख्या से बाहर निकल रहा है। **30210/2017)**

1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान अपील में, वादी में तथ्यात्मक वर्णन भौतिक मामलों में समान है, यदि एसएलपी (सी) सं. 30209/2017 से उत्पन्न साथी अपील में वादी के समान नहीं है।स्पष्ट रूप से, विचाराधीन वाद से प्रासंगिक कथनों को पुनः प्रस्तुत करना उचित है, जो इस प्रकार हैंः- “8. पूर्वगामी पैरा में उल्लिखित सुविधा को नवंबर, 1997 से दिसंबर, 1999 तक बढ़ा दिया गया था और जुलाई, 2000 के महीने में कहीं न कहीं वादी ने देखा कि प्रतिवादी वादी को दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए मनमाने तरीके से स्थानीय चेक और ड्राफ्ट पर प्रति हजार रुपये की दर से ब्याज/कमीशन ले रहे थे।

डी.

ई.

एफ.

9. कि उपरोक्त ब्याज/कमीशन से अधिक शुल्क लेने का पता चलने के बाद वादी ने **21.7.2000** पर बचावकर्ताओं को अधिक शुल्क लेने की शिकायत करते हुए एक पत्र भेजा और उसके बाद दिए गए आश्वासन के अनुसार ब्याज/कमीशन लिया गया।

जी.

10. कि कमीशन/ब्याज के रूप में अधिभारित राशि को वादी को वापस नहीं किया गया था और वादी ने बैंक यानी महाप्रबंधक और वरिष्ठ प्रबंधक को संबोधित निम्नलिखित पत्र भेजे जिसमें संकेत दिया गया था कि अधिभारित राशि को वादी को ब्याज के साथ वापस किया जाना चाहिएः- ए.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.] ए.

561

दिनांकित पत्र 12.10.2000,24.10.2000,30.10.2000,7.11.2000,24.12.2000,01.03.2001,28.03.2001,22.05.2001 और 20.06.2001।उपरोक्त सभी पत्रों में यह स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया था कि वादी से कमीशन की गणना और कटौती कैसे की गई थी।

बी.

11. कि सहायक महाप्रबंधक**,** श्री**.** क्षेत्रीय कार्यालय**-**बी**,** दिल्ली के पी**.** एस**.** बावा ने दिनांकित **9.7.2001** पत्र के माध्यम से वादी को सूचित किया कि संबंधित अवधि के दौरान छूट दिए गए स्थानीय चेक/डी**.** डी**.** के संबंध में वादी के प्रतिनिधित्व पर शाखा कार्यालय की टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं और मामले पर जल्द से जल्द निर्णय लिया जाएगा।मामले में कोई प्रगति नहीं हुई और वादी को माननीय वित्त मंत्री**,** भारत सरकार**,** नई दिल्ली को दिनांकित **31.10.2001** पत्र प्रस्तुत करना पड़ा।

सी.

12. यह कि प्रतिवादियों ने कुछ समय के लिए प्रतिवादियों के लिए वास्तविक दिनों की संख्या के लिए ब्याज लिया है, धन से बाहर रहे।

डी.

13. उस **08.05.2002** दिनांकित पत्र के माध्यम से**,** वरिष्ठ प्रबंधक ने वादी को सूचित किया कि चेक प्रचलित दरों पर खरीदे जा रहे हैं।वह जवाब वास्तविक मुद्दे को दरकिनार करने के लिए दिया गया था**,** जिसके संबंध में श्री से **09.07.2001** दिनांकित पत्र प्राप्त हुआ था। पी**.** एस**.** बावा**,** क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक महाप्रबंधक**,** जैसा कि पूर्वगामी पैरा में संदर्भित है।

ई.

14. कि, इसके बाद, वादी ने दिनांकित 12.07.2002,22.07.2002,24.03.2003 पत्र भेजे, जिसके साथ प्रस्तावित/अनुमानित अतिरिक्त राशि का विवरण दिया गया था और यह अनुरोध किया गया था कि रु. 5,39,902-की राशि जो वास्तव में ली जानी चाहिए थी, उससे अधिक ली गई प्रतीत होती है और सटीक राशि की गणना की जानी चाहिए और वादी को वापस कर दी जानी चाहिए।इन पत्रों का बैंक की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया।

एफ.

जी.

15. प्रतिवादी संख्या **2** के उस वरिष्ठ प्रबंधक ने दिनांकित **19.09.2002** पत्र के माध्यम से सूचित किया था कि सब कुछ नियमों के अनुसार किया गया था और मामलों को आगे बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद वादी ने दिनांकित **3.06.2003** का एक और पत्र भेजा।

एच.

16. यह कि आश्वासनों, नियमों, विनियमों और व्यावसायिक लेन-देन की स्थापित तोपों का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए वादी से मनमाने तरीके से अतिरिक्त राशि की वसूली/शुल्क लिया गया है; और 21.07.2000 से 03.06.2003 तक किए गए लंबे पत्राचार के बावजूद, प्रतिवादी किसी भी नियम, विनियमों या किसी अन्य प्राधिकरण का हवाला देते हुए मनमाने तरीके से की गई राशि की वसूली का हिसाब देने या उसे उचित ठहराने में विफल रहे हैं।XXX

बी.

XXX

XXX

18. कि इसके बाद, वादी को प्रतिवादी को पंजीकृत पत्र No.6672 दिनांक 03.12.2003 के माध्यम से एक कानूनी नोटिस दिया गया जिसमें लेन-देन से संबंधित सभी विवरण शामिल थे जो वादी की लेखा पुस्तकों से एकत्र किए जा सकते थे।

सी.

19. उपरोक्त उल्लिखित नोटिस का वह जवाब प्रतिवादियों द्वारा श्री के माध्यम से भेजा गया था। संजीव कुमार गुप्ता, अधिवक्ता, दिनांकित 23.12.2003 पत्र के माध्यम से जिसमें अतिरिक्त शुल्क से संबंधित कथनों को अस्वीकार कर दिया गया था और यह कहा गया था कि केंद्रीय अधिकारी परिपत्र संख्या 1 के अनुसार डीडी/चेक पर ब्याज लिया गया था। सी 094-95; 233 तक 01.12.1999 और उसके बाद परिपत्र संख्या के अनुसार। सी. ओ./ओ. पी. आर./एस. सी. एच. जी. एस./सी. आई. आर./एल. ई. टी./18.08.2000 दिनांकित।"

डी.

(जोर दिया गया) फिर से, पैराग्राफ 28 में, यह निम्नानुसार कहा गया हैः-

ई.

"28. कि वादी के पक्ष में और प्रतिवादियों के खिलाफ उपार्जित वाद दायर करने का कारण जब अवैध बरामदगी देखी गई और दिनांकित पत्र 21.07.2000 प्रतिवादियों को यह स्पष्ट करने के लिए भेजा गया कि ब्याज की गणना और वसूली कैसे की जा रही थी और विभिन्न अन्य तिथियों पर जब आरोप की गई अतिरिक्त राशि की वापसी के अनुरोध के साथ प्रतिवादियों को पत्र भेजे गए थे और 9.7.2001 पर जब वादी को उचित गणना और वापसी का आश्वासन दिया गया था और 8.5.2002,12.7.2002 और 22.9.2002 पर जब <ID1,3.6.2003 पर मामले को निपटाने के लिए फिर से अनुरोध किए गए थे और उनकी कार्रवाई का कारण 28.12.2003 पर उत्पन्न हुआ जहां प्रतिवादी को कानूनी नोटिस दिया गया था और 23.12.2003 पर जब जवाब दिया गया था

एफ.

जी.

एच.

शक्ति भोग खाद्य उद्योग लिमिटेड v.सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और ए. एन. आर. [ए. एम. खानविलकर, जे.]

563

अब तक न तो प्रतिवादियों द्वारा ली गई अतिरिक्त राशि वापस की गई है।"

3. हमने वर्तमान मामले में तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया है, जो सहयोगी अपील के तथ्यों के समान है।इसलिए, एसएलपी (सी) संख्या 30209/2017 से उत्पन्न साथी अपील में निर्णय में बताए गए कारणों के लिए, यह अपील भी उन्हीं शर्तों पर सफल होनी चाहिए।तदनुसार, इस अपील की भी अनुमति दी जाती है और निचली अदालत, पहली अपीलीय अदालत और दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के विवादित फैसले और आदेश को अपास्त करना दिया जाता है और वाद को निचली अदालत की फाइल में उसी शर्तों पर निपटाया जाता है जैसा कि साथी अपील (एसएलपी (सी) संख्या से उत्पन्न) में संकेत दिया गया है।लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।लंबित अंतर्वर्ती आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

बी.

सी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.